

21/4/26

पशावली पेश हुई। वहील समय परमातर
उप। नूँक मूल विगानी आवेदन भाप विणीत
हो चुका है। ऐसी स्थिति में यह लगान प्रार्थना
पर अन उभावहीन होने के इलाखतर पर स्तारि
किये जाने योग्य है। अतः जारी का यह आवेदन
पर अन्तर्गत धारा 97(2) राजान्मान पंचायती
राज अधिनियम, 1994 को स्तारिज किया जाता है
निर्णय-सरे इखलान पुनाया जला पशावली
हेमल शुमार होत नम्बर से नम हो।

Lund
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)